न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1097 / 2021	13.12.2021	28.10.2025

रामस्वरूप उर्फ पप्पू मीना निवासी राजकीय महाविद्यालय के सामने गंगापुर सिटी
——प्रार्थी

बनाम

1. सुरज्ञानी पुत्र फूलचन्द मीना निवासी ल्हावद हाल निवासी सैनिक नगर गंगापुर सिटी
2. छीतर पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी राजकीय महाविद्यालय के सामने सपेरा बस्ती के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. नाहरसिंह पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी राजकीय महाविद्यालय के समने सपेरा बस्ती के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
4. नानग्या पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी राजकीय महाविद्यालय के सामने सपेरा बस्ती के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 एकतरफा डिक्री तारीखी 11.10.2017 को सेट असाइड किए जाने के सम्बन्ध में ।

उपस्थित :—श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री धीरज पल्लीवाल, एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

अप्रार्थी सुरज्ञानी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू ने ग्राम उदेईकलां के ख0नं0 5673 रकबा 0.64 है0 व ख0नं0 5674 रकबा 0.47 है0 के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 16 / 2017 अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें दि0 12.4.2017 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री गोविन्द पाराशर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं कहा कि इस मामले में जब आवश्यकता होगी तो [illegible] से सूचना देकर बुला लिया जावेगा। जब काफी समय तक वकील साहब का फोन नहीं आया तो जून 2017 के आखिरी सप्ताह में अप्रार्थी ने [illegible] मुकदमे के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि अभी गंगापुर सिटी से बाहर हैं, वापिस गंगापुर सिटी पहुंचने पर फोन द्वारा मुकदमे की स्थिति से अवगत कराने का आश्वासन वकील साहब ने दिया। इसके बाद जून 2017 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:28:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

अन्तिम सप्ताह में अप्रार्थी दौसा में अपने रिश्तेदार प्रवेश मीना के यहां गया हुआ था वहां बाथरूम में पैर फिसलने के कारण गिर गया जिसे डाक्टर साहब को दिखाने पर उन्होने अप्रार्थी की रीढ की हड्डी में चोट बताई एवं 10 दिन तक विस्तर पर आराम करने की सलाह दी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में अप्रार्थी अपने गांव ल्हावद आया तो पहले तो अप्रार्थी को बुखार हुआ फिर टाइफाइड हो गया जिसका अप्रार्थी ने अपने गांव ल्हावद में रहकर देशी इलाज करवाया। स्वस्थ होने में अप्रार्थी को काफी समय लगा। माह अक्टूबर 2017 में अप्रार्थी ने अपने वकील साहब से फोन पर सम्पर्क किया तो कई बार प्रयास करने के बाद भी वकील साहब ने फोन नहीं उठाया। अप्रार्थी इस कारण भी निश्चिन्त रहा कि वकील साहब ने अप्रार्थी से कह रखा था कि आवश्यकता होने पर वे स्वयं अप्रार्थी को सूचित कर देंगे। नवम्बर 2021 के तीसरे सप्ताह में प्रार्थी के भाई राजूलाल ने जिससे कि प्रार्थी की मुकदमेबाजी चल रही है, अप्रार्थी को बताया कि प्रार्थी ने तुम्हारे विरूद्ध उप जिलाकलेक्टर महोदय गंगापुर सिटी से ख0नं0 5673 व 5674 ग्राम उदेईकलां के सम्बन्ध में कोई डिक्री प्राप्त कर ली है। इस पर अप्रार्थी ने पता लगाया तो उक्त एकतरफा डिक्री व निर्णय बावत् अप्रार्थी को प्रथम बार जानकारी हुई अतः यह प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद पेश किया जा रहा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी क्षमा हेतु अलग से प्रार्थना पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। वादग्रस्त ख0नं0 5673 रकबा 0.64 है0 व ख0नं0 5674 रकबा 0.47 है0 ग्राम उदेईकलां से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है न ही उक्त आराजियात पर उसका कब्जा रहा है। प्रार्थी ने स्वयं को रणजीता का दत्तक पुत्र बताते हुए गलत रूप से उक्त आराजियात का नामान्तरकरण स्वयं के नाम खुलवा लिया जबकि लक्खीराम मीना उक्त आराजियात को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा रणजीता से पूर्व में ही क्रय कर कब्जा प्राप्त कर चुका था। जानकारी होने पर लक्खीराम ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 के यहां नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जो दि0 23.5.2018 को स्वीकार हुई व प्रार्थी के हक में हुआ नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी ने इसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त के यहां अपील पेश की जो दिनांक 31.3.2021 को खारिज हुई। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि रामस्वरूप उर्फ पप्पू ने स्वयं को रणजीता का दत्तक पुत्र बताते हुए सिविल वाद भी पेश किया था जिसमें प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू को रणजीता का दत्तक पुत्र नहीं मानते हुए दिनांक 22.10.2010 को खारिज कर दिया जिसकी अपील रामस्वरूप ने अपर जिला जजी गंगापुर सिटी के न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

पेश की जो दिनांक 13.3.2015 को खारिज कर दी गई। इसके विरुद्ध प्रार्थी रामस्वरूप ने द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की वह भी दिनांक 2.11.2017 को खारिज हुई जिसके विरुद्ध प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू ने माननीय सवोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव टू अपील पेश की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4.7.2018 को निरस्त कर दी गई। इस तरह अन्तिम रूप से यह निर्णय हो गया कि प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू रणजीता का दत्तक पुत्र नहीं है। इसके बाद वादग्रस्त आराजियात ख0नं0 5673 व 5674 का नामान्तरकरण लक्खीराम के हक में खोला जाकर खातेदारी लक्खीराम के नाम दर्ज की गई। इस तरह वादग्रस्त आराजियात का प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू न तो खातेदार रहा और न ही उक्त आराजी पर उसका कभी कब्जा रहा। उसने एकतरफा में गलत तथ्यों का उल्लेख कर डिक्री प्राप्त कर ली। लक्खीराम ने उक्त आराजियात को भूखण्डो के रूप में विक्रय किया। अप्रार्थी ने भी उक्त आराजियात में 30 फीट वाई 90 फीट का भूखण्ड क्रय कर नगर परिषद् गंगापुर सिटी से पट्टा प्राप्त किया है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट है कि प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू ने गुमराह कर एकतरफा डिक्री प्राप्त की है जबकि वादग्रस्त आराजियात से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा व न ही कब्जा रहा जबकि अप्रार्थी नगर परिषद् गंगापुर सिटी रजिस्टर्ड पट्टा प्राप्त कर चुका है तथा अप्रार्थी का उस पर बहैसियत स्वामी कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को सुना जाना न्यायहित में विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुकदमा उनवानी रामस्वरूप उर्फ पप्पू बनाम सुरज्ञानी वगैरा मुकदमा नम्बर 16/2017 में दि0 11.10.2017 को एकतरफा में पारित डिक्री व निर्णय सैटअसाइड फरमाए जावें तथा अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में जबाब दावा पेश कर सुनवाई का अवसर प्रदान फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 11.10.2017, ... प्रमाण पत्र अप्रार्थी सुरज्ञान मीना, फोटोकोपी प्रमाणित प्रतिलिपि ... 21.5.2018 न्यायालय अतिरिक्त जिलाकलेक्टर सवाई माधोपुर, फोटोकोपी प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 31.3.2021 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर, फोटोकोपी प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 2.11.2017 न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, फोटोकोपी आदेश दिनांक 4.7.2018 न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तुत किए हैं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू को एवं अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 दिनांक 18.9.2023 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए परन्तु इसके बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 का जबाब प्रस्तुत किया। अपने जबाब में प्रार्थी ने अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 5673, 5674 ग्राम उदेईकलां से अप्रार्थी सुरज्ञानी व अन्य किसी का कोई सम्बन्ध व कब्जा नहीं है। यह भूमि प्रार्थी रामस्वरूप के कब्जे काश्त की भूमि है। प्रकरण में अप्रार्थी के वकील श्री गोविन्द पाराशर रहे है एवं जबाब दावे के लिए समय चाहा है। कोई भी वकील अपने पक्षकार को यह नहीं कहता है कि तुम्हें आवश्यकता होने पर सूचना देकर बुला लेंगे। अप्रार्थी के कथन से ही स्पष्ट है कि वह जबाब दावा पेश कराने के लिए कभी आया ही नहीं। आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत एकपक्षीय डिक्री निरस्त करने के जो ग्राउन्ड हैं उनमें पहला है कि अप्रार्थी की तामील ठीक प्रकार से नहीं हुई हो तथा दूसरा ग्राउण्ड है कि अनुपस्थिति का अप्रार्थी ने पर्याप्त कारण दिया हो। इस प्रकरण में पहला ग्राउण्ड लागू नहीं होता है क्योंकि अप्रार्थी की तामील के बाद उसने अपना वकील नियुक्त कर वकालतनामा पेश कराया है। दूसरा ग्राउण्ड अप्रार्थी ने लिया है कि उसके वकील साहब ने कह दिया था कि आवश्यकता होने पर सूचना देकर बुला लेंगे। यह ग्राउण्ड अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण नहीं होने से माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि कोई भी वकील अपने पक्षकार से यह नहीं कहता कि तुम्हें आवश्यकता होने पर बुला लेंगे क्योंकि प्रकरण में जबाब दावा के तथ्य एवं दस्तावेज अप्रार्थी ही अपने वकील को उपलबध कराता है एवं अप्रार्थी के हस्ताक्षर से ही जबाब प्रस्तुत होता है। प्रकरण में अप्रार्थी न तो तारीख पेशी पर आया और ना ही उसने अपने वकील से सम्पर्क किया है। प्रकरण से सम्बन्धित आदेशिका से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.7.2017 को एकतरफा कार्यवाही हुई है एवं दिनांक 11.10.2017 को दावा डिक्री हुआ है जिसके 4 वर्ष से अधिक समय पश्चात् दिनांक 13.12.2021 को अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने लगभग 4 वर्ष से अधिक समय से वकील से सम्पर्क नहीं किया ना ही न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही जबाब पेश किया। अप्रार्थी ने इस प्रकार अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मनगढन्त तथ्यों का अंकन किया है। भूमि ख0नं0 5673, 5674 का प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:43:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

अप्रार्थी का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी के ऊपर 20000/– का हर्जा कायम कर प्रार्थी को दिलाए जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का भी जबाब पृथक से प्रस्तुत किया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 16/2017 उनवानी रामस्वरूप उर्फ पप्पू बनाम सुरज्ञानी वगैरा में अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 11.10.2017 को एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित किए गए हैं। इस वाद में अप्रार्थी द्वारा पैरवी हेतु निर्धारित किए गए अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी को मुकदमे की कार्यवाही व निर्णय की जानकारी नही देने एवं अप्रार्थी के बीमार हो जाने के कारण अप्रार्थी को उपरोक्त निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हुई। वर्ष 2021 में अप्रार्थी को प्रार्थी के भाई राजूलाल से इस बारे में जानकारी होने पर अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं देरी की क्षमा के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अप्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 11.10.2017 को पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाए जाकर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र निर्णय के 4 साल बाद पेश किया है जो अवधिपार है। देरी का जो कारण अप्रार्थी ने बताया है वह मान्य नहीं है क्योंकि अप्रार्थी अपने मुकदमे के प्रति गम्भीर नहीं रहा तथा उसने मुकदमे की पैरवी में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अप्रार्थी ने जो 50 दिन का रोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है वह फर्जी है। इसलिए अप्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। [illegible]लेख का अवलोकन किया। इस न्यायालय में प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू द्वारा अप्रार्थीगण सुरज्ञानी वगैरा के विरूद्ध वर्ष 2017 में भूमि [illegible] ग्राम उदेईकलां के बावत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनके अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई थी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बयान के आधार पर यह वाद दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

11.10.2017 को एकपक्षीय डिक्री किया जाकर अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था। इस एकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त कर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने हेतु अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी ने अपने आप को रणजीता का दत्तक पुत्र बताते हुए यह वाद प्रस्तुत किया था जबकि सिविल न्यायालयों से प्रार्थी को रणजीता का दत्तक पुत्र ही नहीं माना गया है एवं रणजीता ने वादग्रस्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि0 12.7.79 को ही लक्खीराम मीना को विक्रय कर दिया था जिसका भू–प्रबन्ध कार्य चलते रहने के कारण राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हो पाया तथा प्रार्थी ने अपने आपको गोदपुत्र बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 11.3.93 अपने नाम खुलवा लिया जिसे लक्खीराम की अपील पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 23.5.2018 को खारिज कर दिया गया व प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू द्वारा की गई अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर में दिनांक 31.3.2021 को खारिज हो गई। अप्रार्थी के इस कथन की ताईद पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा उपलबध करवाई गई प्रमाणित प्रतियों से होती है। अप्रार्थी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई फोटोप्रतियां प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 2.11.2017 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर तथा आदेश दिनांक 4.7.2018 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू को इनमें दत्तक पुत्र नहीं माना गया है। चूंकि इस न्यायालय में प्रार्थी रामस्वरूप उर्फ पप्पू द्वारा वाद दत्तक पुत्र होने के आधार पर एवं उसके नाम भूमि की खातेदारी दर्ज होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु उसके रणजीता के गोदपुत्र नहीं मानने सम्बन्धी निर्णय सिविल न्यायालयों से इस वाद के निर्णय से पूर्व ही हो चुके थे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी रामस्वरूप रणजीता का गोदपुत्र ही नहीं रहा। फलस्वरूप प्रार्थी को बतौर गोदपुत्र वाद लाने का अधिकार ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद उनवानी रामस्वरूप उर्फ पप्पू बनाम सुरज्ञानी वगैरा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को एकतरफा निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाकर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय

खण्ड अधिकारी
गापुर सिटी (राज०)

द्वारा वाद संख्या 16/2017 उनवानी रामस्वरूप उर्फ पप्पू वनाम सुरज्ञानी वगैरा में दिनांक 11.10.2017 को पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाते हैं तथा इस वाद को पुनः नम्बर पर लेकर इस वाद में अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान दिया जाकर वाद का पुनः निर्णय करने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:23:29 IST
Reason: SelfAttested